रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012024-251620
CG-DL-E-27012024-251620

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]	नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 27, 2024/माघ 7, 1945
No. 58]	NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 27, 2024/MAGHA 7, 1945

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2024

फा. सं. एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-I-एचक्यू(ई).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 54 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 को और संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को आधार (नामांकन और अद्यतन) द्वितीय संशोधन विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) में,—

(क) विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) में, "निवासी" शब्द के लिए, "आधार नंबर धारक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ट) में, "निवासियों के नामांकन और उनकी सूचना अद्यतित" शब्दों के लिए, "नामांकन चाहने वाले व्यक्ति और आधार नंबर धारकों की सूचना का अद्यतीकरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ठ) और (ण), विनियम 6, विनियम 7 के उप-विनियम (1) और विनियम 9 में, "निवासियों" शब्द, जहां कहीं भी वह आता है, के लिए, और विनियम 15 में, "निवासी" शब्द के लिए, "नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(घ) विनियम 7 के उप-विनियम (2) में, "निवासियों के नामांकन, उनकी सूचना का अद्यतन और त्रुटिशोधन की सूचना" शब्दों के लिए, "आधार नंबर धारकों के नामांकन और उनकी सूचना के त्रुटिशोधन या अद्यतीकरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ङ) अध्याय II के शीर्षक के लिए, "नामांकन प्रक्रिया" शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(च) अध्याय III के शीर्षक के लिए, "आधार नंबरों का सृजन और उनका परिदान" शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(छ) विनियम 14 और विनियम 28 के उप-विनियम (1) के खंड (क) और (ख) में "निवासी" शब्द, जहां कहीं भी वह आता है, के लिए, "आधार नंबर धारक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ज) अध्याय IV के शीर्षक के लिए, "आधार नंबर धारक की सूचना का अद्यतीकरण" शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(झ) विनियम 19क में, "विनियम 19 में निर्धारित निवासियों की जानकारी" शब्दों और अंको के लिए, "आधार नंबर धारकों की विनियम 19 में यथा-निर्दिष्ट सूचना" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ञ) विनियम 20 में, "निवासियों से" शब्द के लिए, "नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों और आधार नंबर धारकों" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ट) विनियम 21 और 32 और अनुसूची V में, "निवासियों" शब्द, जहां कहीं भी वह आता है, के लिए, "नामांकन चाहने वाले व्यक्तियों और आधार नंबर धारकों" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, और "निवासी" शब्द, जहां कहीं भी वह आता है, के लिए, "नामांकन चाहने वाले व्यक्ति और आधार नंबर धारक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ठ) विनियम 24 में, "निवासी" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ड) विनियम 28 के उप-विनियम (1) के खंड (घ) में, "निवासी की जनसांख्यिकीय" शब्दों के लिए, "जनसांख्यिकीय" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ढ)विनियम 31 के उप-विनियम (1) में, "निवासी" शब्द के लिए, "संबंधित व्यक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(ण) विनियम 31 के उप-विनियम (2) में, "निवासी" शब्द के लिए, "आधार नंबर धारक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. मूल विनियमों में, विनियम 27 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

"**27. ऐसे मामले जिनमें आधार नंबर का लोप होगा.**—(1) जहां प्राधिकरण संतुष्ट है कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक आधार नंबर जारी कर दिए गए हैं, सबसे पहले समनुदेशित आधार नंबर प्रतिधारित किया जाएगा और सभी पश्चात्वर्ती आधार नंबरों का लोप किया जाएगा।

(2) जहां प्राधिकरण संतुष्ट है कि आधार नंबर एक ऐसे व्यक्ति के लिए सृजित किया गया था जो नामांकन के समय—

(क) विनियम 6 के उप-विनियम (2) के अंतर्गत बायोमेट्रिक अपवाद सहित नामांकन के लिए पात्र नहीं था परंतु जिसका नामांकन ऐसे अपवादों के निपटान की उसमें यथा-निर्दिष्ट प्रक्रियानुसार किया गया था; या

(ख) पांच वर्ष का या उससे अधिक आयु का था परंतु उसका नामांकन बिना बायोमेट्रिक प्रग्रहण *(कैप्चर)* के किया गया था,

ऐसा आधार नंबर का लोप किया जाएगा।

(3) आधार नंबर धारक, अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, अनुसूची VI में दिए गए प्रपत्र अनुसार, ऐसी आयु प्राप्त करने के छः महिनों की कालावधि के भीतर, आधार नंबर को रद्द करने के लिए प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय को एक आवेदन दे सकता है और—

(क) उसकी पहचान को अधिप्रमाणन करके या ऐसे अन्य साधन द्वारा जिसे प्राधिकरण इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, स्थापित करने के पश्चात्; और

(ख) रद्दकरण के लिए उसके आवेदन के संबंध में संगत तथ्यों के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजनार्थ ऐसी प्रक्रिया जिसे प्राधिकरण उसकी वेबसाइट पर इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, का अनुसरण करने के पश्चात्,

और ऐसे आवेदन की प्राप्ति और खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति पर, प्राधिकरण, अपेक्षाओं की ऐसी पूर्ति की तारीख से तीन महिने की कालावधि के भीतर, उसके आवेदन पर निर्णय लेगा और, यदि वह ऐसे आधार नंबर धारक की रद्दकरण के लिए पात्रता के संबंध में संतुष्ट है तो, उसे रद्द कर देगा :

परंतु यह कि आधार (नामांकन और अद्यतन) द्वितीय संशोधन विनियम, 2024 के प्रारंभ पर या उससे पूर्व रद्दकरण के लिए किए गए किसी आवेदन पर प्राधिकरण द्वारा इस विनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।"।

4. मूल विनियमों में, विनियम 29 में,—

(क) उप-विनियम (1) में, "लोप अथवा विनिष्क्रियण की अपेक्षा रखने वाले रिपोर्ट अथवा पहचाने गए मामले की फील्ड स्तर पर जांच की जा सकती है जिसमें उस व्यक्ति की सुनवाई शामिल है, जिसके आधार नंबर का लोप या उसका निष्क्रियण किया जाना है।" शब्दों के लिए, निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामत: :—

"किसी मामले जिसे लोप या निष्क्रियण की आवश्यकता वाले संभावित मामले के रूप में प्रतिवेदित किया जाए या पहचाना जाए, के लिए मैदानी जांच जिसमें उन व्यक्तियों जिनके आधार नंबरों का लोप या निष्क्रियण किया जाना हो की सुनवाई सम्मिलित हो सकती है, या अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ठ) के अंतर्गत निरीक्षण, जांच या संपरीक्षा, की आवश्यकता हो सकती है।"; और

(ख) उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, नामत: :—

"(1क) उप-विनियम (1) में यथा-निर्दिष्ट जांच के अनुसरण में, आधार नंबर और उससे संबंधित सूचना का लोप या उसे निष्क्रिय करने के लिए, प्राधिकरण उसके कब्जे या नियंत्रण में आधार नंबर धारक की सूचना, जिसमें सीआईडीआर में संग्रहित सूचना भी है, तक पहुंच दे सकता है या उसका उपयोग कर सकता है या उसको प्रकट कर सकता है :

परंतु यह कि सूचना तक ऐसी पहुंच या उसका ऐसा उपयोग या प्रकटन धारा 29 की उप-धारा (1), (2) और (4) के अंतर्गत सूचना साझा करने के निर्बंधन के अध्यधीन होगा।"।

5. मूल विनियमों में, "अनुसूची-VI" में, "(इन विनियमनों के विनियमन 27(1)(ग) को देखें)" के लिए, "[विनियम 27(3) देखें]", प्रतिस्थापित किया जाएगा।

सलिल कुमार, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./715/2023-24]

नोट : मूल विनियमों अधिसूचना संख्या 13012/64/2016/विधि/यूआईडीएआई (2016 की संख्या 2), दिनांक 12 सितंबर, 2016 को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 14 सितंबर, 2016 में प्रकाशित किया गया था और उन्हें अंतिम बार अधिसूचना संख्या एचक्यू-16026/1/2023-ईयू-आई-एचक्यू (ई), दिनांक 16 जनवरी, 2024 के द्वारा संशोधित किया गया था।

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2024

F. No. HQ-16016/1/2023-EU-I-HQ (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Aadhaar (Enrolment and Update) Second Amendment Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations),—

(a) for the word "a resident", the words "an Aadhaar number holder" shall be substituted in clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 2;

(b) for the word "residents and updating their information", the words "individuals seeking to enrol and updating information of Aadhaar number holders" shall be substituted in clause (i) of sub-regulation (1) of regulation 2;

(c) for the word "residents" wherever it occurs, the words "individuals seeking to enrol" shall be substituted in clauses (j) and (m) of sub-regulation (1) of regulation 2 and regulations 6, 7, 9 and 15;

(d) for the words "residents' information", the words "information of Aadhaar number holders" shall be substituted in sub-regulation (2) of regulation 7;

(e) for the title of Chapter II, the title "ENROLMENT PROCESS" shall be substituted;

(f) for the title of Chapter III, the title "GENERATION OF AADHAAR NUMBERS AND THEIR DELIVERY" shall be substituted;

(g) for the word "resident" wherever it occurs, the words "Aadhaar number holder" shall be substituted in regulations 14 and clauses (a) and (b) of sub-regulation (1) of regulation 28;

(h) for the title of Chapter IV, the title "UPDATE OF INFORMATION OF AADHAAR NUMBER HOLDER" shall be substituted;

(i) for the words "residents' information prescribed at Regulation", the words "information of Aadhaar number holders as referred to in regulation" shall be substituted in regulation 19A;

(j) for the words "residents, not exceeding an amount specified by the Authority,", the words "individuals seeking to enrol and Aadhaar number holders, not exceeding such amount as the Authority may specify" shall be substituted in regulation 20;

(k) for the word "residents" wherever it occurs, the words "individuals seeking to enrol and Aadhaar number holders" shall be substituted in regulations 21 and 32 and Schedule V;

(l) the word "resident" shall be omitted in regulation 24;

(m) for the words "resident demographics", the words "demographic information" shall be substituted in clause (d) of sub-regulation (1) of regulation 28;

(n) for the word "residents", the words "the individual concerned" shall be substituted in sub-regulation (1) of regulation 31; and

(o) for the word "a resident", the words "the Aadhaar number holder" shall be substituted in sub-regulation (2) of regulation 31.

3. In the principal regulations, for regulation 27, the following regulation shall be substituted, namely:—

"**27. Cases requiring omission of Aadhaar number.—**(1) Where the Authority is satisfied that more than one Aadhaar numbers have been issued to the same person, the Aadhaar number assigned the earliest shall be retained and all subsequent Aadhaar numbers omitted.

(2) Where the Authority is satisfied that an Aadhaar number was generated for an individual who, at the time of enrolment,—

(a) was not eligible for enrolment with biometric exception under sub-regulation (2) of regulation 6 but whose enrolment was carried out following the procedure for handling of such exceptions as referred to therein; or

(b) was aged five years or above but was enrolled without capturing his biometrics,

such Aadhaar number shall be omitted.

(3) An Aadhaar number holder may, upon attaining the age of eighteen years, make an application for cancellation of his Aadhaar number as per the form set out in Schedule VI, to a Regional Office of the Authority, within a period of six months from the date on which he attains such age and after—

(a) establishing his identity by performing authentication or by such other means as the Authority may specify in this behalf; and

(b) following such procedure as the Authority may specify in this behalf on its website, for the purpose of satisfying itself as to the relevant facts regarding his application for cancellation,

and, upon receipt of such application and fulfilment of the requirements referred to in clauses (a) and (b), the Authority shall, within a period of three months from the date of such fulfilment of requirements, take a decision on his application and, if satisfied regarding the eligibility of such Aadhaar number holder for cancellation, cancel the same:

Provided that any application for cancellation made on or before the commencement of the Aadhaar (Enrolment and Update) Second Amendment Regulations, 2024 shall be processed by the Authority in accordance with this regulation.”.

4. In the principal regulations, in regulation 29,—

(a) in sub-regulation (1), for the word “deactivated”, the following words, brackets and figures shall be substituted, namely:—

“deactivated, or an inspection, inquiry or audit under clause (l) of sub-section (2) of section 23 of the Act”; and

(b) after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(1A) For omitting or deactivating an Aadhaar number and information relating thereto, pursuant to an inquiry as referred to in sub-regulation (1), the Authority may give access to or use or disclose information of the Aadhaar number holder, in the possession or control of the Authority, including information stored in the CIDR:

Provided that such giving of access to or use or disclosure of information shall be subject to the restriction on sharing of identity information under sub-sections (1), (2) and (4) of section 29.”.

5. In the principal regulations, in Schedule VI, for “[*See* regulation 27(1)(c)]”, “[*See* regulation 27(3)]” shall be substituted.

SALIL KUMAR, Director

[ADVT.-III/4/Exty./715/2023-24]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 14th September, 2016, *vide* notification number 13012/64/2016/ Legal/UIDAI (No. 2 of 2016), dated the 12th September, 2016, and were last amended *vide* Notification No. HQ-16016/1/2023-EU-I-HQ(E), dated the 16th January, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.01.27 14:13:15 +05'30'